

निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2024-25,

दिनांक: 10 जून, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-05/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 एवं के कार्यालय ज्ञाप संख्या-224/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 03 जून, 2024 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० दिव्या सिंह	रा०हो०चि०, ब्रह्मपुर, हरिद्वार।	रा०हो०चि०, अगस्तमुनी, रुद्रप्रयाग।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

पत्रांक: 260 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- जिलाधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2024-25,

दिनांक: 10 जून, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-05/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 एवं के कार्यालय ज्ञाप संख्या-224/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 03 जून, 2024 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० संदीप कुमार	रा०हो०चि० खटीमा, ऊधमसिंह नगर।	रा०हो०चि०, गणनाथ, अल्मोड़ा।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

पत्रांक: 261 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर/अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/अल्मोड़ा।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2024-25,

दिनांक: 10 जून, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-05/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 एवं के कार्यालय ज्ञाप संख्या-224/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 03 जून, 2024 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० दीपा देवी	रा०हो०चि०, जिला चि०, हरिद्वार।	रा०हो०चि०, गौचर, चमोली।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

: यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)

प्रभारी निदेशक,

पत्रांक: 262/नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार/चमोली को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)

प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2024-25,

दिनांक: 10 जून, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-05/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 एवं के कार्यालय ज्ञाप संख्या-224/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 03 जून, 2024 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी, को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० रंजीत सिंह	रा०हो०चि०, गणनाथ, अल्मोड़ा।	रा०हो०चि०, गुमोड़ी, अल्मोड़ा।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रात्रता पूर्ण करने पर।	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

पत्रांक: 263/नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2024-25,

दिनांक: 10 जून, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्कम में निर्गत शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-05/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 एवं के कार्यालय ज्ञाप संख्या-224/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 03 जून, 2024 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० कमल कुमार	रा०हो०चि०, गैरसँण, चमोली।	रा०हो०चि०, जिला चि०, चम्पावत।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

पत्रांक: 264 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चमोली/चम्पावत।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चमोली/चम्पावत को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/चम्पावत।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चमोली।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2024-25,

दिनांक: 10 जून, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या-05/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 एवं के कार्यालय ज्ञाप संख्या-224/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 03 जून, 2024 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० भूपेन्द्र प्रसाद	रा०हो०चि०, जिला चि०, चम्पावत।	रा०हो०चि०, खटीमा, ऊधमसिंह नगर।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

पत्रांक: 265/नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंह नगर।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंह नगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंह नगर।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चम्पावत।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2024-25,

दिनांक: 10 जून, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या-05/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 एवं के कार्यालय ज्ञाप संख्या-224/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 03 जून, 2024 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० प्रमोद चन्दोला	रा०हो०चि०, बदियाकोट, बागेश्वर।	रा०हो०चि०, जिला चि०, अल्मोड़ा।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

पत्रांक: 266 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर/अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/अल्मोड़ा।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/स्था०-628/2024-25,

दिनांक: 10 जून, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-05/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 एवं के कार्यालय ज्ञाप संख्या-224/नि०हो०/स्था०-628/2024-25, दिनांक 03 जून, 2024 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० चंचल सिंह	रा०हो०चि०, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल।	रा०हो०चि०, जिला चि०, हरिद्वार।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जून, 2024 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

पत्रांक: 267/नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
- संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।